डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24

RNI NO. MPHIN/2022/85285

Email id: haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

वर्ष 03 अंक 05 | अगस्त 2024 | पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

शाजापुर कृषि विभाग का नया फरमान: , प्रतिबंधित कीटनाशकों की सूची से नाईट्रोवेंजीन के नाम का आदेश किया निरस्त

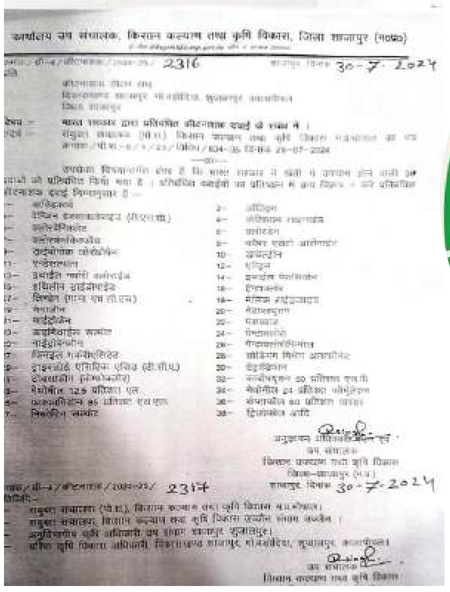
कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला शाजापुर (म0प्र0)

क्रमांक/सी-4/कीटनाशक/2024-25/ 2316 शाजापुर, दिनांक 30-7-2024

क्रमांक/सी-4/कीटनाशक/2024-25/ 2317 शाजापुर, दिनांक 30-7-2024

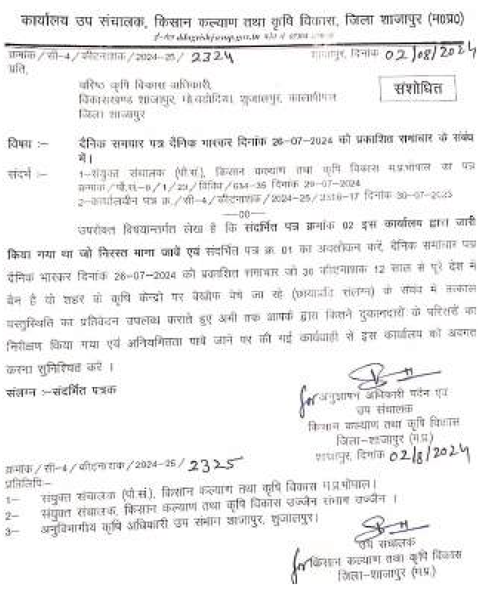
कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला शाजापुर (म0प्र0)

क्रमांक/सी-4/कीटनाशक/2024-25/ 2324 शाजापुर, दिनांक 02/08/2024

प्रति,

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,
विकासखण्ड शाजापुर, मो.बड़ोदिया, शुजालपुर, कालापीपल
जिला शाजापुर

संशोधित

विषय :- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 26-07-2024 को प्रकाशित समाचार के संबंध में।

संदर्भ :- 1-संयुक्त संचालक (पौ.सं.), किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/पौ.सं.-8/1/23/सिविल/634-35 दिनांक 29-07-2024
2-कार्यालयीन पत्र क्र./सी-4/कीटनाशक/2024-25/2316-17 दिनांक 30-07-2024

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 02 इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था जो निरस्त माना जावे एवं संदर्भित पत्र क्र. 01 का अवलोकन करें, दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 26-07-2024 को प्रकाशित समाचार जो 38 कीटनाशक 12 साल से पूरे देश में बैन है वो शहर के कृषि केन्द्रों पर बेखौफ बेचे जा रहे (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में तत्काल वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अभी तक आपके द्वारा कितने दुकानदारों के परिसरों का निरीक्षण किया गया एवं अनियमितता पाये जाने पर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- संदर्भित पत्रक

अनुज्ञापन अधिकारी पदेन एवं उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला-शाजापुर (म.प्र.)

क्रमांक/सी-4/कीटनाशक/2024-25/ 2325 शाजापुर, दिनांक 02/8/2024

प्रतिलिपि:-
1- संयुक्त संचालक (पौ.सं.), किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल।
2- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास उज्जैन संभाग उज्जैन।
3- अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संभाग शाजापुर, शुजालपुर।

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला-शाजापुर (म.प्र.)

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

हलधर किसान इंदौर। देशभर में 38 कीटनाशक दवाईयों के प्रतिबंध मामले में शाजापुर कृषि विभाग को दोबारा आदेश जारी करना पड़ा है। यह स्थिति देवी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के झोनल मैनेजर द्वारा जताई आपत्ति के बाद बनी है। विभाग ने नए आदेश में देवी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के नाईट्रोवेंजीन को प्रतिबंध सूची के जारी आदेश को निरस्त करते हुए नया आदेश जारी किया है।

इस आदेश में उल्लेख किया है कि 26 जुलाई को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित 38 कीटनाशक प्रतिबंध होने के बाद भी शहर में बेचे जा रहे है। इस संबंध में विभाग ने संबंधित समाचार पत्र से भी जवाब मांगा है। जबकि इसके पूर्व 30 जुलाई को विभाग द्वारा जारी आदेश में जिले के सभी विकासखंड डीलरों को आदेश जारी कर निर्देश दिए थे कि 38 प्रतिबंध दवाईयों का विक्रय न करें, इस सूची में 25वें नंबर पर नाईट्रोवेंजीन का प्रोडक्ट भी शामिल था। इस पर कंपनी के झोनल मैनेजर अरुण मेहता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कृषि निदेशक किसान कल्याण एवं कृषि विकास संचालनालय, भोपाल में आपत्ति दर्ज कराई थी। पत्र के माध्यम से मांग की गई थी कि बाजार में जारी किए सर्कुलर से कंपनी के डीलरों के बीच फैली भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। उनकी कंपनी देवी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड सीआईबी और आरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र नाइट्रोवेंजीन के साथ पीजीआर के रुप में नाईटोबेंजीन 20 ईडब्ल्यू का विपणन करता है। हमने इसके लिए राज्य विपणन कार्यालय से अनुमति भी ली है। बाजार में सर्कुलर जारी होने से डीलर भ्रमित हो रहे है, इसलिए कीटनाशक प्रतिबंध को लेकर जारी सूची में सुधार कर उसे दोबारा जारी किया जाए, जिससे डीलरों के बीच फैला असमंजस दुर हो सके। इस आपत्ति के एक सप्ताह में ही विभाग को आदेश में बदलाव करना पड़ा। मिली जानकारी अनुसार विभाग ने उक्त प्रतिबंधित कीटनाशको की सूची समाचार पत्र में छपी सूची के आधार पर जारी कि थी, जिससे यह स्थिति निर्मित हुई।

प्रोडक्ट बिक्री को लेकर हो रहे थे चिंतित

इंदौर जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने बताया कि वे भी देवी कार्पो साइंस प्रायवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट विक्रय करते है। शाजापुर कृषि उप संचालक द्वारा जारी प्रतिबंधित कीटनाशको की सूची वायरल होकर लगभग समूचे प्रदेश में पहुंची थी। जिसके बाद उनके पास भी व्यापारियों के फोन आ रहे थे। विक्रेताओं में चिंता के साथ असमंजस की स्थिति बन गई थी, क्योंकि खरीफ सीजन के दौरान अधिकतर व्यापारियों ने इस कंपनी का माल अपने प्रतिष्ठान पर रखा है। प्रतिबंध के बाद दुकान पर इस कंपनी का प्रोडक्ट मिलने पर कार्रवाई की संभावनाओं को देखते हुए दुकानदार चिंतित थे कि वह प्रोडक्ट बेचे या नही। अब नया आदेश जारी होने के बाद व्यापारियों को राहत मिली है।

जान लेवा हो रही हवा, हर साल वायु प्रदूषण से हो रही 33 हजार मौते

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नईदिल्ली। भारत के 10 शहरों में हर साल लगभग 33, 000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं, जो भारत की नेशनल क्लीन एयर लिमिट से नीचे है। यह रिपोर्ट लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित हुई है। भारत के स्वच्छ वायु मानदंड वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के हर क्यूबिक मीटर एयर में 15 माइक्रोग्राम के दिशानिर्देश से काफी ऊपर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अपने स्वच्छ वायु मानदंडों को कम से कम डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुरूप कम करना चाहिए ताकि नागरिकों को प्रदूषित हवा के खतरों से बचाया जा सके। दिल्ली में लगातार वायु गुणवत्ता का सबसे खराब पाया जाना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि देश में प्रदूषण अब केवल बड़े शहरों की समस्या नहीं रह गया है।

आंकड़ों के मुताबिक बर्नीहाट में अध्ययन किए गए 148 दिनों में से छह दिन वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर था। वहीं 107 दिन हवा बेहद खराब रही, जबकि छह महीनों में महज पांच दिन ऐसे थे, जब वायु गुणवत्ता को बेहतर कहा जा सकता है।

यह जानकारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) द्वारा जारी नई रिपोर्ट में सामने आई है। अपनी इस रिपोर्ट में सीआरईए ने पिछले छह महीनों के दौरान देश के 256 शहरों की वायु गुणवत्ता में आए बदलावों का विश्लेषण किया है।

वहीं प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद दूसरे, जबकि दिल्ली तीसरे स्थान पर रही। फरीदाबाद से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो वहां पिछले छह महीनों में पीएम 2.5 का औसत स्तर 103 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। आंकड़ों के मुताबिक फरीदाबाद में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब हवा स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित कही जा सके। वहीं फरीदाबाद में 41 दिन वायु गुणवत्ता बेहद खराब, जबकि 58 दिन खराब थी। हालांकि देश के सबसे प्रदूषित दस शहरों की सूची में हरियाणा के तीन शहर शामिल रहे।

महानगरों के साथ शहरों में भी प्रदूषण का जहर

प्रदूषण मामले में देश में चौथे स्थान पर गुड़गांव था, जहां पीएम 2.5 का स्तर 99 रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद भागलपुर, श्रीगंगानगर, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बल्लभगढ़ और भिवाड़ी शीर्ष दस सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल थे। इनमें तीन शहर हरियाणा के दो.दो शहर राजस्थान और के जबकि दिल्ली के साथ असम और बिहार का एक.एक शहर शामिल था। यदि देश के 163 सबसे प्रदूषित शहरों को देखें तो वहां वायु गुणवत्ता का स्तर देश के वायु गुणवत्ता मानकों यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से भी ज्यादा था, जबकि देश में एक भी शहर ऐसा नहीं रहा जहां वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरी हो। यदि दिल्ली में पीएम 2.5 के औसत स्तर को देखें तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों से 20 गुणा अधिक था। गौरतलब है कि जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लम्बी अवधि में हवा में पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम पीएम 2.5 को सुरक्षित माना है। वहीं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों में यह आंकड़ा 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। दूसरी तरफइस अवधि के दौरान देश में केवल 93 शहर ऐसे थे जहां वायु गुणवत्ता भारत द्वारा पीएम 2.5 के लिए निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों पर खरी हो। बता दें कि देश के जिन 163 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर देश के वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं था उनमें से महज 63 शहर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वहीं बाकी 100 शहरों के पास अभी भी वायु प्रदूषण के इस जहर से निपटने के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है।

बच्चे प्रदूषण से सुरक्षित नहीं

उधर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने अपनी नई रिसर्च में खुलासा किया है कि भारत में बच्चे घरों के भीतर भी प्रदूषण से सुरक्षित नहीं हैं। अध्ययन के अनुसार देश में प्रति हजार शिशुओं.बच्चों की मौतों में से 27 की जान खाना पकाने के लिए घरों में उपयोग होने वाला दूषित ईंधन से हो रही हैं। 2023 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे ज्यादा खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में से 83 भारत में हैं। इन सभी शहरों में प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन ;डब्ल्यूएचओद्ध द्वारा जारी वायु गुणवत्ता दिशा.निर्देशों से 10 गुणा ज्यादा है।

2008 से 2019 के बीच मृत्यु दर के आंकड़े-

लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ के लेखकों ने 10 शहरों में पीएम 2.5 के संपर्क और 2008 से 2019 के बीच मृत्यु दर की गणना के आंकड़ों का उपयोग किया। अध्ययन में पाया कि वर्तमान भारतीय वायु गुणवत्ता मानकों से नीचे वायु प्रदूषण से भी देश में दैनिक मृत्यु दर में वृद्धि होती है। देश के 10 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में हर साल लगभग 33, 000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं जो डब्ल्यूएचओ के दिशा.निर्देशों से ज्यादा है। इसमें कहा गया है कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई जैसे हाई पॉल्यूशन वाले शहरों में भी बड़ी संख्या में मौतें देखी गई, जिन्हें हाई एयर पॉल्यूशन वाले वाले नहीं माना जाता है, उन्होंने आगे कहा भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को और ज्यादा कठोर बनाया जाना चाहिए और वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के प्रयासों को दोगुना किया जाना चाहिए। अध्ययन में पाया गया कि 2008 और 2019 के बीच इन सभी 10 शहरों में सभी मौतों में से 7.2 प्रतिशत (लगभग 33,000 प्रति वर्ष) शॉर्ट.टर्म पीएम2.5 जोखिम से जुड़ी हो सकती हैं जो हवा के प्रत्येक क्यूबिक मीटर में 15 माइक्रोग्राम के डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन वैल्यू से ज्यादा थी। सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में - विज्ञप्ति में कहा गया है, प्रत्येक क्यूबिक मीटर वायु में 10 माइक्रोग्राम की वृद्धि से अल्पकालिक पीएम2.5 एक्सपोजर में डेली मौतों में 1.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई,जब हमने स्थानीय वायु प्रदूषण स्रोतों के प्रभाव को अलग करने वाले कारणात्मक मॉडलिंग दृष्टिकोण का उपयोग किया, तो यह अनुमान लगभग दोगुना होकर 3.57 प्रतिशत हो गया। अध्ययन अवधि में वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली में दर्ज की गई, चौंका देने वाली 11.5 प्रतिशत यानी हर साल 12,000 मौतें। इस अवधि के दौरान वाराणसी में मौतों की दूसरी सबसे ज्यादा संख्या दर्ज की गई . 10.2 प्रतिशत या लगभग 830 मौतें प्रति वर्ष, जो डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन वैल्यू से ज्यादा अल्पकालिक पीए 2.5 एक्सपोजर के कारण थी। अध्ययन में पाया गया कि हवा में प्रति घन मीटर प्रति 10 माइक्रोग्राम की वृद्धि से अल्पकालिक पीएम एक्सपोजर में दैनिक मौतों में 1.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बेंगलुरु में 2,100, चेन्नई में 2,900, कोलकाता में 4,700 और मुंबई में लगभग 5,100 लोगों की हुई मौत। हालांकि, पहाड़ी शहर में वायु प्रदूषण अभी भी एक जोखिम बना हुआ है, जहां सभी मौतों में से 3.7 प्रतिशत . 59 प्रति वर्ष . डब्ल्यूएचओ के दिशा.निर्देश मूल्य से अधिक अल्पकालिक पीएम 2.5 एक्सपोजर के कारण होती हैं।

एजेंसी देना है-

प्रतिष्ठित मासिक समाचार पत्र हलधर किसान के साथ ही इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म किसान प्लस टीवी कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान, नई तकनिक, योजनाओं के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के समावेश के साथ नियमित रुप से प्रकाशित/प्रसारित हो रहा है। अखबार की प्रतियां नियमित रुप से प्राप्त करने के लिए वार्षिक सदस्यता लेने, एजेंसी/ इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट विज्ञापन प्रकाशन के लिए हमारे वाट्सअप नंबर (88174 02860/ 8989436932) या हमारे प्रधान कार्यालय 598, वेगॉस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है।

नोट: कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखे लेख प्रकाशन के लिए भी वाट्सअप नंबर पर भेज सकते है। आपके द्वारा भेजे गए लेख, शोधकार्य या कृषि के क्षेत्र में नई तकनिकी, सफलता हासिल करने संबंधित समाचार को भी प्रमुखता से प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे।

विनाश रचली जंगलों की आग!

आ जंगलों में आग लगने की समस्या केवल उत्तराखंड की नही है, बल्कि यह विश्वव्यापी है। देश की बात करें तो हिमाचल, जम्मू, छत्तीसगढ़, असम, मप्र और महाराष्ट्र मेंभी हर वर्ष जंगल जलते हैं और इंसान अपने स्वार्थ में तमाशबीन बना दिखाई दे रहा है। समस्या एक स्तर पर हो, तो उसका समाधान भी किया जा सकता है लेकिन यहां तो समाधान करने वाले ही समस्या पैदा कर रहे है। अब तक आस्ट्रेलिया के बहुत बड़े इलाके में खड़े जंगल आग से तबाह हो गए। भारत में भी पिछले साल आग की कई घटनाएं घटीं। कुछ बड़ी घटनाओं में अनेक लोग मारे गए। यों आग की घटनाएं अब दुनिया में साल के बारहों महीने होती रहती हैं, पर गर्मी में कुछ ज्यादा घटती ह, जिनसे करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती हैए मवेशी और सैकड़ों लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। जंगल की आग को रोकने के लिए यों तो अनेक नई. नई तकनीकें इस्तेमाल की जाने लगी हैं, जिसमें व वर्षा करानाए विमान और ड्रोन से रासायनिक झाग का छिड़काव और मिट्टी का छिड़काव प्रमुख हैं। लेकिन ये सभी तरीके बहुत महंगे है।

राज्य सरकारों के आग पर काबू पाने और मुस्तैदी के सारे दावे धरे रह जाते हैं। पिछले कुछ सालों में अब तक आग की साढ़े बाईस हजार से अधिक घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में घट चुकी है, जिसमें करोड़ों संपत्ति जल कर खाक हो चुकी है। मवेशी और जन. धन की जो हानि हुई, वह अलग। इधर कुछ सालों में देश के विभिन्न हिस्सों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।यों तो मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी आग से जंगल तबाह होते रहे हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इन दोनों पहाड़ी राज्यों में तबाही देखने को मिलती हैए वैसे अन्य किसी राज्य में नहीं। पिछले तीस वर्षों में आग की हजारों छोटी.बड़ी घटनाएं घट चुकी है, जिनसे लाखों हेक्टेयर जमीन में खड़े जंगल प्रभावित हुए। जैविक विविधता नष्ट हुई है और जीव.जंतु मारे गए हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार भारत के पचास फीसद जंगलों को आग से खतरा है, जिसमें अधिकतर जंगल हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के हैं। जब पांच वर्ष पहले कार्बेट जल कर खाक हो गया था, तब आग की चपेट में आकर लाखों जीव.जंतु मारे गए और बेशकीमती औषधियां आग की भेंट चढ़ गई थी। पिछले दस सालों में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में इस तरह की कई भीषण घटनाएं घटीं, लेकिन उनसे राज्य सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा। शहरों में तो दमकल के जरिए आग पर काबू पा लिया जाता हैए लेकिन पहाड़ी इलाकों में काबू पाना मुश्किल होता है।

संपादकीय

आमतौर पर गर्मी के महीनों में हर वर्ष जंगली क्षेत्रों में आग लगती ही है। कई बार सूखे पत्तों और घनी झाड़ियों को जलाने के लिए आग लगाई जाती है। माना जाता है कि स्थानीय निवासियों द्वारा छोटे इलाको सूखे पत्तों और छोटी सूखी वनस्पतियों को जलाने स बड़ी विनाशकारी आग की घटनाएं नहीं होती हैं।

पर्यावरण की क्षति, वन क्षेत्र की वनस्पतियों और जीव. जंतुओं के विनाश का भी खतरा नहीं रहता। राज्य और केंद्र सरकार को इस तरह के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करके छोटे इलाकों के पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले खर पतवारों को जलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धीरे- धीरे यह परंपरा बन जाएगी और जंगलों की विविधता और हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर पिघलने की बढ़ती समस्या को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। पहाड़ी इलाकों के रहवासियों का पालन.पोषण जंगल ही करते रहे हैं। फल. फूल, मेवे, औषधियां, जलाऊ और इमारती लकड़ियां भी जंगलों से आराम से मिल जाती थीं। जंगल लोगों को पालते थे और लोग जंगलों की सुरक्षा करते थे। 1970 के दशक में जंगल बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए, जिसमें शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं ने बढ़.चढ़ कर हिस्सा लिया था।

जंगलों की रक्षा के लिए यह आंदोलन दुनिया भर की महिलाओं के लिए नजीर बन गया। 1988 में केंद्र सरकार ने जो वन नीति बनाई थी उससे जंगलों व संरक्षित करने और उनका विस्तार करने में सहूलियत तो मिली, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरह वनों में माफिया, तस्करों और वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से लूट मची, उससे उत्तराखंड बनने का उद्देश्य खंड.खंड हो गया।

उत्तराखंड में देश.विदेश की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां की अमूल्य संपदा का दोहन कर पूरे इलाके को खोखला करने में लगी हुई हैं। रोजगार देने और खुशहाली का नया दौर शुरू करने का सब्जबाग दिखाने वाली ये कंपनियां राज्य सरकार से खाद.पानी पाती रही हैं। राज्य सरकार अवैध निर्माण, जगली जंतुओं के शिकार, अवैध खनन और वन की अमूल्य औषधियों और लकड़ियों की तस्करी रोकने में विफल रही है।

पहाड़ के निवासियों द्वारा उत्तराखंड निर्माण के समय देखे गए स्वप्न जंगलों के साथ लगातार जलते आ हर बार चुनाव के समय हर पार्टी उत्तराखंड को सबसे खुशहाल राज्य बनाने का वादा करके सत्ता में आती है और सत्ता मिलते ही वह अपना नफा.नुकसान केवल पर्यटन को बढ़ावा देने और नई.नई देशी.विदेशी कंपनियों के जरिए लाभ कमाने पर सारा ध्यान केंद्रित करती है। शुभ सोचने और करने पर कभी गौर ही नहीं किया जाता। इस प्रदेश की मूल समस्याओं के लिए कोई ठोस, दूरगामी योजनाएं नहीं बनाई जातीं। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रदेश की समस्याएं पिछले बीस वर्षों में अधिक तेजी के साथ बढ़ी हैं।

उत्तर प्रदेश को खंडित करके जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, उस वक्त इस इलाके के लोगों को लगा था कि उनकी एक मुराद पूरी हो गई, अब कहीं अधिक तेजी के साथ इस प्रदेश को अपने स्वप्नों का प्रदेश बनाएंगे। राजनेताओं ने भी जनता से बड़े.बने वादे किए थे। उसमें एक वादा यह भी था कि इस की मूलभूत समस्या . सड़क, बिजली और पानी को हल करने को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा।

पलायन के लिए किसी को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इसमें से एक भी समस्या हल नहीं हो पाई,बल्कि दूसरी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाढ़, बारिश और वन की आग की समस्याओं का लगातार बढ़ते जाना, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इन समस्याओं का जिम्मेदार पंचानबे प्रतिशत तक मानव ही है, जो अपने स्वार्थ में इस क्षेत्र की विविधता का दोहन करता आ रहा है।

90 साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहे 4 अद्भुत संयोग

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

अजमेर (ज्योतिष).

भाई- बहन के स्नेह को और प्रगाढ़ करने वाला पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष 19 जुलाई को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो इस पर्व के महत्व को और अधिक बढ़ाएगा। अजमेर के ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी) के अनुसार करीब 90 साल बाद रक्षाबंधन के दिन 4 शुभ महासंयोग बन रहे हैं। ग्रह.नक्षत्रों का यह अद्भुत संयोग भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत करेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन सावन का अंतिम सोमवार भी है। ऐसे में यह दिन बेहद शुभ साबित होगा।

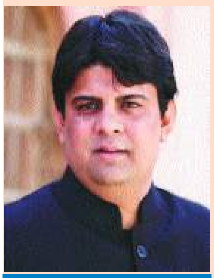

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन

रात 8 बजकर 40 मिनट तक रहेगा ये दो योग

ज्योतिषाचार्य जैन ने बताया कि 19 अगस्त को सुबह से लेकर रात 8 बजकर 40 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग और रवियोग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्यों में सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसे में इस समय में रक्षासूत्र बांधा जाए तो भाइयों पर आने वाली सभी बलाएं दूर होंगी और उन्हें आरोग्य होने का का वरदान भी मिलेगा।

इस समय तक रहेगा पाताल लोक का भद्रा

वैदिक पंचांग के अनुसार, 18 अगस्त को रात 2 बजकर 21 मिनट से भद्रा कि शुरूआत हो रही है जो अगले दिन 19 अगस्त को 1 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। यह भद्रा पाताल लोक का भद्रा होगा। भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने शुभ नहीं माना जाता है।ऐसे में 19 अगस्त को दोपहर में 1 बजकर 24 मिनट के बाद रक्षासूत्र बांधा जाएगा। पंचांग के अनुसार, श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त को देर रात 03 बजकर 44 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 19 अगस्त को देर रात 11 बजकर 55 मिनट पर होगा। उदया तिथि गणना अनुसार 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। हालांकि, भद्रा योग के समय में राखी नहीं बांधी जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सावन पूर्णिमा पर भद्रा का निर्माण हो रहा है। भद्रा काल दोपहर 1 बजकर 32 मिनट तक है। इस काल में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके लिए भद्रा के समय राखी न बांधें।

दोपहर तक रहेगा भद्रा का साया

ज्योतिषियों की मानें तो रक्षाबंधन पर शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग देर रात 12 बजकर 47 मिनट तक है। ज्योतिष शोभन योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शोभन योग में बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। इससे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण सुबह 08 बजकर 10 मिनट तक है।

धनिष्ठा नक्षत्र- रक्षाबंधन पर धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वप्रथम श्रवण नक्षत्र का संयोग है, जो सुबह 08 बजकर 10 मिनट तक है। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र दिन भर है। इस नक्षत्र योग का समापन 20 अगस्त को सुबह 05 बजकर 45 मिनट पर होगा। ज्योतिष धनिष्ठा नक्षत्र को शुभ मानते हैं। इस योग में श्रीहरि की पूजा.उपासना कर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं।

करण- वहीं, भद्रा समाप्त होने के साथ ही बव करण का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन देर रात 11 बजकर 55 मिनट पर हो रहा है। ज्योतिष बव करण को शुभ मानते हैं।

राखी बांधने का सही समय

सावन पूर्णिमा पर राखी बांधने का सही समय दोपहर 01 बजकर 32 मिनट से लेकर 04 बजकर 20 मिनट तक है। इसके बाद प्रदोष काल में शाम 06 बजकर 56 मिनट से लेकर 09 बजकर 08 मिनट तक है। बहनें अपनी सुविधा अनुसार समय पर 01 बजकर 32 मिनट के बाद भाइयों को राखी बांध सकती हैं।

वर्ग पहेली-4

बाएं से दाएं

1. पतंग (4)
5. सप्ताह का तीसरा दिन (5)
6. कमल जिसका घर हो, ब्रह्मा (4)
8. समय का अंतराल (4)
10. जो जीता न गया हो (3)
12. गिरवी (3)
14. इज्जत वाला (4)
16. शहरी (4)
18. नरभक्षी (5)
19. कमल (4)

ऊपर से नीचे

1. कान और आँख के बीच का हिस्सा (4)
2. निपुणता (3)
3. वर्षगाँठ (5)
4. कार्यशाला, शिल्पशाला (4)
7. अचानक (4)
9. आँखों से क्रोध जताना (4)
11. अंतःपुर (5)
13. धरोहर (4)
15. फूलों का रस (4)
17. देशद्रोही, विद्रोही (3)

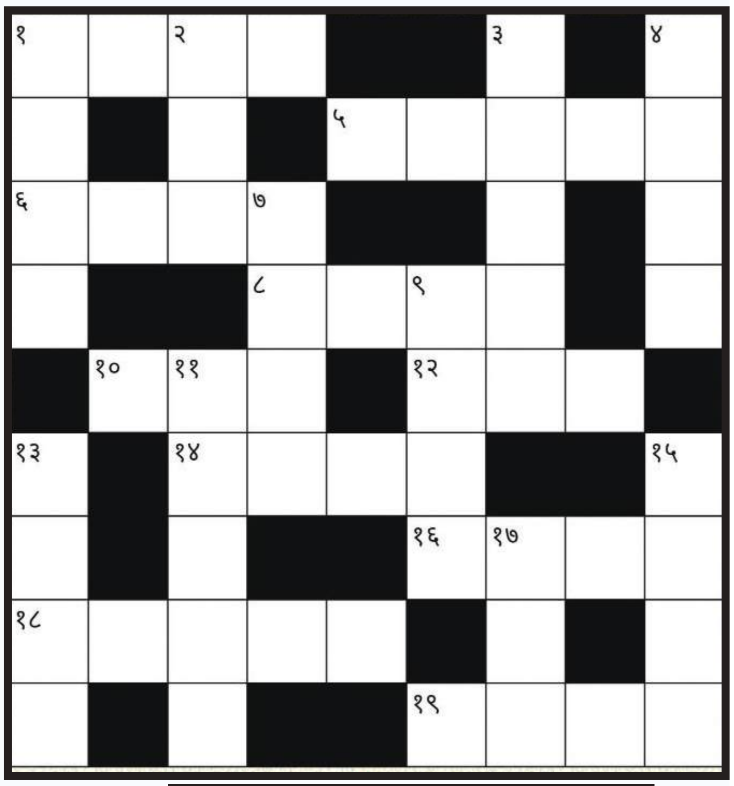

वर्गपहेली 4 का सही उत्तर

	१ म	२ हि	ष		३ दू		४ पा	५ न
व		मा		७ प	र	व	रि	श
सा	मु	द्रि	९ क		स्थ		१० भा	न
ह			११ पि	१२ क		१३ ऋ	षि	
१४ ट	१५ न		१६ ल	च	१७ र		१८ क	१९ स
	२० ट	का		२१ रा	ह			ह
को	ना		२३ मँ		२४ स्य	२५ मं	त	क
र	ग	र	ग	में		त		र्मी
मा	र		ता		२८ भ	व्य	ता	

अब कीटनाशक लाइसेंस रिन्यूअल के लिए नही चुकाना होगी फीस

ऑल इंडिया संघ की मांग पर जारी हुए संशोधित आदेश, संघ ने 7500 रुपए की रिन्युअल राशि को बताया था अवैध

हलधर किसान नई दिल्ली। देशभर के कीटनाशक विक्रेताओं के लिए राहतभरी खबर है। अब व्यापारियों को लायसेंस रिन्युअल के लिए फीस नही चुकाना पड़ेगी। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण अपर सचिव भारत सरकार ने कृषि निदेशको को पत्र जारी कर नवीनीकरण फीस वसूली पर रोक के निर्देश दिए है। शासन के इस निर्णय पर ऑल इंडिया कृषि आदान विक्रेता संघ ने खुशी जाहिर करते हुए इसे सत्य की जीत करार दिया है। ऑल इंडिया एग्रो इनपुट एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री ने इस निर्देश का स्वागत करते हुए कहा कि एसोसिएशन लायसेंस रिन्युअल के नाम पर हो रही वसूली को लंबे समय से अवैध बताते हुए इसे निरस्ती की मांग कर रहा था, अंततः सरकार ने इस पर रोक लगाकर संगठन की मांग को सही ठहराया है। इस निर्णय से देश के लाखों कीटनाशक व्यापारियों को राहत मिलेगी।

श्री कलंत्री ने बताया कि 12 अगस्त को शासन स्तर पर कृषि निदेशक को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि जीएसआर 840 (ई) दिनांक 5.11.2015, कीटनाशक (संशोधन) नियम, 2015 के संबंध में, जिसके तहत, उप- नियम से नवीकरण शब्द हटा दिया गया है। 1) नियम 10 (कीटनाशकों की बिक्री आदि के लिए लाइसेंस) नतीजतन, कीटनाशकों के निर्माण या बिक्री के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की अब कीटनाशक अधिनियम, 1968 और उसके तहत नियमों के अनुसार आवश्यकता नहीं है। आप व्यक्तिगत रुप से इस्तक्षेप कर अपने अधिकार क्षेत्र में संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों को जीएसआर को अनुपालन करने का निर्देश दे। आदेश के सामने आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कलन्त्री ने बताया कि देश में कई राज्य और कई जिलों में 'कीटनाशक लाइसेंस में रिन्युवल के नाम पर प्रतिवर्ष 7500 की अवैध वसूली की जा रही थी, जबकि

भारत सरकार द्वारा गजट क्रमांक '840 (द्द) द्ध दिनांक 5 .11. 2015 के अनुसार' कीटनाशक अधिनियम में से 'रिन्युअल शब्दों को हटा' दिया गया है।

ऑल इंडिया संगठन के इस मांग को ध्यान में रखते हुए 'भारत सरकार के अपर सचिव (प्लांट प्रोटेक्शन) ने सभी राज्यों के 'संचालक कृषि को एक पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि यदि इस प्रकार के अवैध वसूली हो रही है तो उसे तत्काल रोका जावे। यह आल इंडिया संघ की कृषि आदान व्यापारियों के हित में बड़ी जीत है।

एसोसिएशन के महासचिव प्रवीणभाई पटेल, प्रवक्ता संजय कुमार रघुवंशी ने सभी राज्य एवं जिला पदाधिकारी से इस पत्र की कॉपी निकाल कर इसके साथ एक पत्र अपने संगठन का लगाकर राज्यों के संचालक कृषि सचिव एवं उपसंचालक कृषि आदि को देने की अपील की है, जिससे इस प्रकार की अवैध वसूली पर तत्काल रोक लग सके।

जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ जिला इंदौर जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने भी मप्र के व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि संगठन के प्रयासों से सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन, कृषि व्यापारियों के हित में जारी आदेशों की कॉपी फाइल भी बनाकर प्रत्येक जिला पदाधिकारी अपने पास रखें, ताकि समय.समय पर उसे प्रस्तुत करके समस्याओं का निराकरण करवाया जा सके।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तिरंगा लहराने को बनाया जन.जन का अभियानः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आरंभ हुए 'हर घर तिरंगा' अभियान से पूरा देश नए उत्साह और उमंग से गुजर रहा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के समय से आम आदमी द्वारा तिरंगा फ्हराने के संबंध में विशेष छूट दिलवाई थी। इसी का परिणाम है अब तिरंगा लहराना पूरे देश में जन.जन का अभियान बन गया है।

हर घर तिरंगा अभियान में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं भी इस दिशा में सक्रिय हैं। हम सब अपने घर पर पवित्र तिरंगा लगाएं और इसकी मर्यादा का भी ध्यान रखें। यही हमारी क्रांतिकारी, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल पुलिस की तिरंगा रैली का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे।

अगले 20 सालों में जैव विविधता में आ सकती है 39 फीसदी की गिरावट

हलधर किसान. नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन से आने वाले समय में स्थलीय व समुद्री जीव.जंतुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों पर भारी संकट आ सकता है। वैज्ञानिकों ने जलवायु मॉडल के जरिये किए ताजा शोध से पता चला कि अगले 20 वर्षो के दौरान करीब 39प्रतिशत प्रजातियों में कमी आ सकती है।

वहीं, पारंपरिक मॉडलों के पूर्वानुमान इस बात की तस्दीक करते है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों की विविधता 2041 से 2060 के बीच 54 फीसदी तक कम हो सकती है। यह शोध इफ्रेमर और लॉजेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की अगुवाई में किया गया है और नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों ने अपने नए मॉडल को दुनिया भर से लगभग 25,000 स्थलीय व समुद्री प्रजातियों, जिसमें जानवर और पौधे भी शामिल हैं, पर आजमाया। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) भौगोलिक वितरण मानचित्र प्रदान करता है। भविष्य के जलवायु परिवर्तन के परिदृश्यों के साथ अपने मॉडल में इस आंकड़े को जोड़कर उन्होंने पाया कि इनमें से 49 फीसदी स्थलीय प्रजातियां वर्तमान में जलवायु स्थितियों की सीमाओं से सटे स्थानों में रहती हैं और शेष 51फीसदी वर्तमान जलवायु सीमाओं से परे रहती है। समुद्री प्रजातियों के लिए यह आंकड़ा बढ़कर 92 फीसदी हो जाता है।

तत्काल उपाय जरूरी

शोधकर्ता अपने निष्कर्ष में कहते हैं कि यह 39 फीसदी की गिरावट भी चिंताजनक है, इसलिए जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे सबसे अधिक प्रभावित

शोधकर्ताओं के अनुसार सबसे अनोखे परिणाम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। पारंपरिक मॉडलों के अनुसार 2041.2060 तक उष्णकटिबंधीय स्थलीय प्रजातियों का 54 फीसदी तक नुकसान होगा। जबकि नया मॉडल प्रजातियों की विविधता में मात्र 39 फीसदी की कमी का पूर्वानुमान लगता है। वैज्ञानिकों ने संभावना जताई कि उष्णकटिबंधीय प्रजातियां पहले की तुलना में जलवायु परिवर्तन को बेहतर तरीके से सहन कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि, वर्तमान में इन क्षेत्रों में जो जलवायु है वह 2041 तक मौजूद नहीं रहेगी। ये प्रजातियां पहले से ही अपने जलवायु क्षेत्र की सीमा के बाहर रह रही हैं और वे काफी गर्म तापमान को सहन नहीं कर पाएंगी।

बिना खर्च बासमती धान को कीटों से बचाने का देशी तरीका है कारगर

हलधर किसान. भोपाल। बासमती धान अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है, इसकी गुणवत्ता के साथ ज्यादा उपज हासिल करने के लिए फसल को कीटों से बचाना जरुरी है। यहां किसानों को बिना खर्च वाले ऐसे देशी तरीके बताए जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से कीटों के प्रकोप से छुटकारा मिल जाएगा।

कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो धान की रोपाई के लगभग महीने भर बाद से तना छेदक कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में किसान देसी जुगाड़ अपनाकर अपने धान की फसल को बचा सकते हैं। हालांकि, धान की फसलों के बीच उन्हें लाइट ट्रैप टूल लगाना होगा जिसके रोशनी मे कीट पतंगे फस जाते हैं और इससे निजात मिलेगी।

केमिकल से घट जाती है धान की कीमत और क्वालिटी

यह कीट धान की रोपाई करने के तकरीबन एक महीने के भीतर से ही फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यह सूंड तने के भीतर घुसाकर तने को खा जाता है। किसान इसकी रोकथाम करने में परेशान हो जाते हैं। फसलों को इससे बचाने के लिए किसान पेस्टिसाइड यानी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इस जहरीले केमिकल की बड़ी समस्या यह है कि केमिकल इस्तेमाल की गई धान एक्सपोर्ट लायक नहीं रहती। यानी जिस धान में केमिकल का इस्तेमाल हो गया उसकी क्वालिटी एक्सपोर्ट लायक अच्छी नहीं मानी जाती।

पेस्टिसाइड की जगह करें ये उपाय

केमिकल के बिना फसल को छेदक कीट से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक देसी तरीका इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला जाएगा तो फसल की क्वालिटी भी बनी रहेगी और किसानों का खर्च भी कम आएगा। इससे चावल को एक्सपोर्ट करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसे में छेदक कीट से फसल को बचाने के लिए फसलों के बीच.बीच में लाइट ट्रैप टूल का प्रयोग करना होगा। उसकी रोशनी में आकर सभी कीट पतंगे फंस जाएंगे और फसल को नुकसान कम होगा।

धान की फसल में पहली बार पाटा 15 से 20 दिन की फसल होने पर फिराना चाहिए।

अगर जरूर हो तो दोबारा 30.35 दिन की होने पर इस क्रिया को दोहराया जा सकता है। अगर खेत में पानी कम हो तो पाटा चलाने से अधिक लाभ मिलता है।

पाटा लगाने के लिए आप 10.15 फीट का बांस का उपयोग करना चाहिए।

ऐसा करने से धान की जड़ों में थोड़ा झटका लगता है इससे धान की फसल में चिपके सुंडी जैसे कीट झड़कर पानी में गिर जाते हैं और मर जाते हैं।

पाटा चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पाटा सीधी और उलटी दोनों दिशाओं में चलाएं पहली बार सीधी तरफ तो दूसरी बार उलटी तरफपाटा चलाना चाहिए।

धान की फसल में पाटा चलाते समय खेत में पानी जरूर होना चाहिए।

10 साल में 65 फीसदी बाघ बढ़े, दुनिया के 70 प्रतिशत से अधिक बाघों का घर बना भारत

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

2014 से लेकर 2024 के बीच देश में बाघों की संख्या 65 फीसदी बढ़ गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, 2014 में देश के अंदर कुल बाघों की संख्या 2,226 थी, जो अब बढ़कर 3,682 हो गई है।

दिल्ली। देश में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 2014 से लेकर 2024 के बीच देश में 65 फीसदी बाघ बढ़े हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, 2014 में देश के अंदर कुल बाघों की संख्या 2226 थी, जो अब बढ़कर 3682 हो गई है। खास बात है कि बाघों की संख्या के साथ.साथ दुनिया में वन्य जीवों के संरक्षण कार्यक्रम में भी भारत का डंका बज रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 70 प्रतिशत से अधिक जंगली बाघों का घर भारत ही है। अन्य देशों के मुकाबले भारत में तेजी से वन्य जीवों के संरक्षण पर काम हुआ।

6.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से देश में बढ़ रही बाघों की संख्या

अन्य वन्य जीवों के संरक्षण पर भी फोकस सरकार बाघ के साथ.साथ अन्य वन्य जीवों के संरक्षण पर भी काम कर रही है। इसके लिए पिछले साल यानी अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस यानी आईबीसीए की नींव रखी। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीता, जगुआर और प्यूमा, यानी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए हुआ है। यह एलाइंस बाघ सहित अन्य बड़ी बिल्लियों और उनकी कई लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा रहा है।

आंकड़े बताते हैं कि पिछले दस साल में भारत में न केवल बाघों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उन्हें अनुकूल वातावरण भी मिला है। दुनिया के केवल 2.4 प्रतिशत भूमि क्षेत्र के साथ भारत, वैश्विक जैव विविधता में लगभग 8 प्रतिशत योगदान देता है।

बाघों के संरक्षण को लेकर ऐसे शुरू हुआ काम

देश में सबसे पहले साल 1969 से वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में सरकार ने काम करना शुरू किया। तब पहली बार सरकार ने वन्य जीवों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद साल 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। 1973 में केंद्र सरकार ने बाघ परियोजना शुरू किया। यह एक वन्य जीव संरक्षण पहल थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रख.रखाव को सुनिश्चित करना था। 2006 में सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बड़े बदलाव किए और वन्य जीवों के संरक्षण को और मजबूती प्रदान की। तब देश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना हुई।

देश में 54 टाइगर रिजर्व

1973 में पहली बार सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने का एलान किया था। शुरुआती चरण में देशभर में नौ टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। इनमें कॉर्बेट उत्तर प्रदेश, पलामू (बिहार), सिमिलिपाल (उड़ीसा), सुंदरवन (पश्चिम बंगाल), मानस (असम), रणथंभोर (राजस्थान), कान्हा (मध्य प्रदेश), मेलघाट (महाराष्ट्र) और बांदीपुर (मैसूर) शामिल है। हाल ही में सरकार ने मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। इसी के साथ देश में अब कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं।ओवरऑल देखें तो ये टाइगर रिजर्व 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हैं। मतलब ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

ऐसे देश में बाघों की संख्या बढ़ी साल बाघ की संख्या

2006	1411
2010	1706
2014	2226
2018	2967
2023	3682

भारत में 55.6 फीसदी फीसदी लोग नहीं उठा सकते पौष्टिक आहार का खर्च: रिपोर्ट

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। भारत की आधे से ज्यादा आबादी (55.6) फीसदी स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ है। 2020 यानी जब कोविड.19 महामारी फैली थी, उस वर्ष को छोड़ दिया जाए तो इस अनुपात में लगातार गिरावट देखी गई है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड (एसओएफआई) में सामने आई है। यह तथ्य 24 जुलाई, 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 2020 यानी जब कोविड.19 महामारी फैली थी उस वर्ष को छोड़ दिया जाए तो इस अनुपात में लगातार गिरावट देखी गई है।

वहीं, यह स्थिति अभी भी सभी दक्षिण एशियाई देशों के औसत (53.1 प्रतिशत) से ज्यादा है और 2022 में पाकिस्तान (58.7 प्रतिशत) के बाद इस क्षेत्र में आबादी का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है। इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में भारत में स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ आबादी का अनुपात 69.5 प्रतिशत था।

संयुक्त राष्ट्र की पांच एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में 'स्वस्थ आहार' को चार प्रमुख पहलुओं के आधार पर बताया गया है। इनमें शामिल हैं। विविधता (खाद्य समूहों के भीतर और सभी में) पर्याप्तता ;आवश्यकताओं की तुलना में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्तता, संयम (खाद्य पदार्थ और पोषक तत्व जो खराब स्वास्थ्य परिणामों से संबंधित हैं) और संतुलन (ऊर्जा और मैक्रोन्यूट्रिएंट का सेवन)।

भारतीय संख्याएं भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सार्वजनिक व्यय से मेल खाती हैं . इस व्यय का 83 प्रतिशत खाद्य उपभोग (जिसमें खाद्य उपलब्धता और पहुंच शामिल है) पर है जबकि खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के प्रमुख कारकों पर केवल 15 प्रतिशत आवंटित किया जाता है।

इस साल मई में एक अन्य वैश्विक रिपोर्ट ने भारत में आहार संबंधी आदतों के बारे में चिंता जताई थी, जिसमें पौष्टिक विकल्पों की तुलना में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया था।

ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024- फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी डाइट्स एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 38 प्रतिशत भारतीय आबादी अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खाती है, जबकि केवल 28 प्रतिशत लोग सभी पांच बताए गए खाद्य समूह का उपभोग करते हैं, कम से कम एक स्टार्चयुक्त मुख्य भोजन, एक सब्जी, एक फल, एक दाल, अखरोट या बीज और एक पशु.स्रोत भोजन शामिल है।

वैश्विक स्तर पर 35.4 प्रतिशत लोग स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ थेय इनमें से 64.8 प्रतिशत अफ्रीका में और 35.1 प्रतिशत एशिया में थे।

कुपोषित भारतीय

भारत में 2021 और 2023 के बीच 19.46 करोड़ कुपोषित लोग थे। यह कुल आबादी का 13.7 प्रतिशत था।

खाद्य और कृषि संगठन या एफएओ की परिभाषा के अनुसार, कुपोषण का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक वर्ष की अवधि में दैनिक न्यूनतम आहार ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

वेस्टिंग यानी बौनेपन से प्रभावित बच्चों (पांच वर्ष से कम की संख्या 2.19 करोड़ (18.7 प्रतिशत) थी और 2022 में 3.61 करोड़ (31.7 प्रतिशत) बच्चे बौने थे।

एफएओ वेस्टिंग को 'ऊंचाई के हिसाब से कम वजन' के रूप में वर्णित करता है,जो कुपोषण का एक घातक रूप है, जबकि स्टंटिंग को 'उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई' के रूप में वर्णित किया जाता है और यह क्रोनिक या बार.बार होने वाले कुपोषण का परिणाम है। कुल मिलाकर, एशिया में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वेस्टिंग का स्तर सबसे अधिक था।

सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी पर हो कार्रवाई, दुकानदार बने गवाह: श्री दुबे

कृषि विभाग की कार्रवाई में विसंगतियों पर जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष ने केंद्रिय कृषि मंत्री को लिखा पत्र

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

इंदौर। कीटनाशक दुकान के लायसेंस रिनिवल प्रक्रिया के साथ ही कीटनाशक बिक्री के दौरान कृषि अधिकारियों द्वारा सैंपल फेल होने पर दुकानदार को दोषी मानकर लायसेंस निलंबित करने की कार्रवाई पर जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ ने सवाल खड़े किए है। संघ के जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने केंद्रिय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रिय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सेक्रेटरी संजीव चोपरा के नाम मांगपत्र लिखकर कीटनाशक एवं बीज के सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी को पार्टी बनाने एवं रिन्यूअल फीस समाप्त होने की सूचना जारी करने की मांग की है।

पत्र में श्री दुबे ने बताया कि हमारा संघठन ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के तहत कृषि आदान विक्रेताओं के हित में काम कर रहा है। समूचे देश में खाद. बीज एवं कीटनाशक का व्यापार करते हुए देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने में अपना महत्वपुर्ण सहयोग दे रहे है। इस व्यापार में जहां किसानों को आसानी से कृषि आदान उपलब्ध कराते है तो वही सरकार को भी टैक्स के रुप में राजस्व चुका रहे है। इसके बावजूद कीटनाशक एवं बीज अधिनियम के कुछ प्रावधानों के कारण इस व्यापार से जुड़े कारोबारी कहीं न कहीं खुद को कृषि विभाग से प्रताड़ित महसूस कर रहे है। ऐसे में कुछ प्रावधान समय की मांग को देखते हुए समाप्त किए जाएं, जो निम्नानुसार है.

.कीटनाशक कंपनियों द्वारा केंद्र सरकार एवं सेंट्रल इंसेटिनाइड बोर्ड से अनुमति के बाद ही किसी भी कीटनाशक का उत्पादन किया जाता है और कीटनाशक अधिनियम के अनुसार उसे पुरे देश में व्यापार करने की अनुमति मिलती है। कंपनी के मूल पैकिंग का नमूना जब किसी विक्रेता के यहां से लिया जाता है तो उसका सैंपल फेल होने पर सर्वप्रथम लासेसिंग अधिकारी द्वारा संबंधित कंपनी की बजाय विक्रेता का लायसेंस निलंबित या निरस्त करने नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जाता है जबकि दोष उस निर्माता कंपनी का होता है। अतरू कीटनाशक का सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं विक्रेता को गवाह के रुप में नामित करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

.केंद्र सरकार के 5 नवंबर 2015 के गजट के अनुसार देश में कीटनाशक लाइसेंस में से वैधता अवधि समाप्त हो गई है, यानी अब उसको रिनिवल करवाने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, एक बार यदि कोई लाइसेंस बन जाता है तो वह आजीवन होता है, लेकिन देश के कई राज्यों में कई जिलों में उप संचालक कृषि द्वारा कीटनाशक व्यापारियों से प्रतिवर्ष रिनिवल की फीस के नाम पर 7500 रुपए वसूल किए जा रहे है जो कि अवैध है। कई जिलो में यह वसूली कीटनाशक लाइसेंस में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने के नाम पर ली जा रही हैए जबकि अधिनियम की धारा 10 (4) में ऐसा कोई प्रावधान नही है, जो अवैध वसूली है।

.खाद.बीज एवं कीटनाशक का व्यापार करते समय लाइसेंस जारी करते समय वर्तमान नियमों का अनुसार विक्रेता को एक साल का देसी डिप्लोमा कोर्स या कृषि स्नातक के डिग्री अनिवार्य है लेकिन यदि किसी फर्म के प्रोपराइटर की असामयिक मृत्यू होने पर परिवार के किसी व्यक्ति को यह लाइसेंस बिना डिग्री या डिप्लोमा के ट्रांसफर किया जाए, जिससे परिवार की आर्थिक मदद होती रहे।

.कई राज्य में कीटनाशक के लाइसेंस जारी होने के बाद अलग. अलग गोडाउन के लिए अलग से लाइसेंस की आवश्यकता बताई जाती है जो कि आवश्यक नही है इसके लिए पत्र लिखकर सूचित किया जाए।

.नकली कीटनाशक को प्रतिबंधित करने के लिए अभियान चलाया जाए, संगठन साथ है।

बीज व्यापार में भी व्याप्त है विसंगतियां

हमारे संगठन के सदस्यों द्वारा पूरे देश में बीजों के खरीदी बिक्री का व्यापार भी किया जाता है, जिसमें आ रही समस्याएं भी अवगत करा रहे है।.

. बीज उत्पादक कंपनी द्वारा उत्पादित एवं सील पैक बीज में अमानक होने की स्थिति में निजी बीज विक्रेता को प्रथम पार्टी या सहयोगी पार्टी बनाया जाता है जो कि पूर्णरुप से गलत है क्योंकि बीज विक्रेता बीज उत्पादक कंपनियों एवं किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि कृषि विभाग की निगरानी में 1 प्रतिशत से लगाकर 5 प्रतिशत लेकर अपना कार्य करता है और यह बीज हमारे गोडाउन में सिर्फ एक या 2 सप्ताह तक ही रहता है। कंपनियों का यह कहना पूर्णरुप से गलत है कि स्टोरेज में कमी होने के कारण बीज अमानक होता है। इसका एक महत्वपुर्ण कारण यह भी है कि कृषि विभाग द्वारा हमारे लायसेंस देते समय पर एवं समय. समय पर निरीक्षण करते हुए और वहां संपूर्ण सुविधा होने के बाद ही लाइसेंस को प्रदान किया जाता है ऐसी स्थिति में सैंपल फेल होने पर बीज की गुणवत्ता की जवाबदारी निजी विक्रेता की ना होकर बीज उत्पादक कंपनियों एवं उसे सर्टिफाइड करने वाले अधिकारियों पर होनी चाहिए।

. श्री दुबे ने संघ की अपील करते हुए मांग की है कि बीज अधिनियम 1966 में संशोधन करते समय इस बात का स्पष्ट रुप से प्रावधान किया जाए की बीज की गुणवत्ता के लिए संपूर्ण जवाबदेही बीज उत्पादक कंपनी एवं निर्माताओं की होनी चाहिए ना कि छोटे डीलर या नि विक्रेता की।

.कंपनी की ओर से पैकिंग में बीज आने के बाद विक्रेता के यहां पर उसके मूल पेकिंग में बीज अगर विक्रेता की ओर से छेड़ा हो ऐसी जगह पर उस विक्रेता को आप जिम्मेदान मान सकते है।

.दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में खाद एवं कीटनाशक के अधिनियम में कंप्युटर के स्टॉक रजिस्टर को मान्यता प्रदान कि गई है लेकिन बीज अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए बीज अधिनियम में कंप्युटराइज स्टॉक रजिस्टर को मान्यता प्रदान के लिए संशोधन प्रस्तुत किया जाए।

. राज्यों एवं जिलों में बीज लाइसेंस रिन्युअल के समय कंपनियों के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है जबकि बीज अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं हैए इसलिए सभी राज्य सरकारों को एक निर्देश पत्र जारी किया जाए कि बीच लाइसेंस में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की अवैधानिक मांग न करें। .बीटी कॉटन में डीलर मार्जिन बहुत कम है, जिसमें कालाबाजारी की स्थिति निर्मित होती है। इसलिए बीटी कॉटन में डीलर मार्जिन बढ़ाया जाए। संगठन ने केंद्रिय मंत्री, राज्यमंत्री सहित अन्य सेक्रेटरी से मांग की है कि कृषि व्यापार से जुड़े इन गंभीर मुद्दों, विषयों, समस्याओं पर संज्ञान लेकर इनके निराकरण के आदेश जारी करें।

केंद्रिय रसायन मंत्रालय ने देशभर के सीएमडी/एमडी के साथ ही यूरिया निर्माताओं से मांगा जवाब

ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने कम मार्जिन सहित अन्य समस्याओं को लेकर लिखा था पत्र

देशभर के 240 व्यापारियों ने पत्र किए थे ई-मेल

हलधर किसान. इंदौर। देशभर में लोडिंग.अनलोडिंग की बढ़ती कीमतों के बीच उर्वरको का मार्जिन बढ़ाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री के चलाए मांगपत्र आंदोलन का असर हुआ है। श्री कलंत्री ने केंद्रिय रसायन, उर्वरक मंत्रालय को पत्र लिखकर मार्जिन कम होने से उर्वरक बिक्री के व्यापार में हो रहे नुकसान से विभाग को अवगत कराते हुए इसके निराकरण की मांग की थी।

श्री कलंत्री ने बताया कि इस मांग को लेकर न केवल उन्होंने बल्कि देशभर के संगठन से जुड़े जिलाध्यक्षों ने उनके आह्वान पर इस मांग को आंदोलन बनाते हुए अपने. अपने जिला मुख्यालय से मांगपत्र विभाग को ई.मेल किए थे। जिस पर विभाग ने संज्ञान लिया है। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग के अवर सचिव ने सीएमडी/एमडी सहित सभी यूरिया और पीएंडके निर्माता/आयातक को पत्र लिखकर संगठन की मांग पर जवाब मांगा है। संगठन ने अपने पत्र में डीलर के मार्जिनए उर्वरकों की टैगिंग आदि जैसे विभिन्न मुद्दे उठाए थे। इसमें विभाग ने इन मुद्दों का जिक्र करते हुए उठाए गए, विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणियाँ/ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

एसोसिएशन ने इन मुद्दों पर कराया ध्यानाकृष्ट

विभाग की ओर से जारी पत्र में एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों जैसे कई कंपनियां फॅर के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को यूरिया/कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की आपूर्ति करती हैं। हालांकि, उर्वरक एक रेल पॉइंट पर दिया जाता है, जो नियम के अनुसार for के माध्यम से अंतिम डीलर तक पहुंचना चाहिए, बावजूद इसके कंपनियां शुल्क लेती है, जिसके चलते प्रति बैग परिवहन शुल्क के रूप में 40 रुपए अतिरिक्त चुकाना पड़ता है। इसके अलावा उर्वरक कंपनियाँ अन्य उर्वरकों/उत्पादों पर डीएपी और यूरिया का टैग लगाकर दबाव डालती हैं, जो व्यापारियों के गोदामों में पड़ा रहता है, जिससे नुकसान होता है।

इन मुद्दों पर विभाग ने संबंधित कंपनी, सीएमडी, एमडी, निर्माता, आयातको से उनकी टिप्पणिया/ स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए 7 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है।

विभाग की पहल से जल्द हो समस्या का निदान

. ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की देशभर के व्यापारियों को लेकर कि की गई पहल का असर हुआ है। यह संगठन की शक्ति के साथ ही व्यापारियों के हित में चलाए गए अभियान की जीत है। संगठन हमेशा जायज मांगों को लेकर जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक मजबुती से अपनी बात रखता आया है ओर इसी का परिणाम रहा कि संगठन की बात को शासन. प्रशासन ने महत्व देते हुए उनके पक्ष में निर्णय लिए है। उर्वरक मार्जिन सहित अन्य मुद्दों पर कि गई मांग में भी उम्मीद है कि जल्द व्यापारियों के हित में विभाग ठोस निर्णय लेगा, जिससे आर्थिक रुप से कमजोर हो रहे व्यापार में राहत मिल सकेगी। *- श्रीकृष्ण दुबे जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष इंदौर*

विभाग की पहल से सुलझेंगी समस्याएं

. केंद्रिय रसायन एवं उर्वरक विभाग ने एसोसिएशन के मांगपत्रों पर संज्ञान लिया है जो सराहनीय है। विभाग के कृषि व्यापार हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर भेजे गए मांगपत्र पर जो प्रतिक्रिया स्वरुप कार्रवाई शुरु की है, उससे व्यापारियों का विभाग के प्रति विश्वास बढ़ा है और संभवतया इस गंभीर समस्या का विभाग की पहल से निराकरण भी होगा। . *मनमोहन कलंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन*

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन।.RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।